**प्रदर्श "स"**

## प्रमाण पत्र

**लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज** को **वाड्रफनगर बायपास मार्ग निर्माण** हेतु **बलरामपुर जिला में बलरामपुर** वनमंडल के **वाड्रफनगर अन्तर्गत** वनभूमि व्यपवर्तन हेतु **4.931 हे. वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।**

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र **रकबा 0.178 हे0 राजस्व वनभूमि तथा 4.753 हे0 वनभूमि कुल 4.931 हे0** जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम **ग्राम रजखेता व वाड्रफनगर** तहसील **वाड्रफनगर** में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव ग्राम पंचायत **रजखेता** में दिनांक 06.10.2016, नगर पंचायत **वाड्रफनगर** में 27.10.2016 (प्रदर्श **"अ"**) एवं **वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन** (प्रदर्श **"ब"**) पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम **रजखेता** में **श्री मेहीलाल** की अध्यक्षता में हुई विशेष ग्राम सभा की बैठक दिनांक **06.10.2016 तथा** नगर पंचायत **वाड्रफनगर** में श्री अमित खाखा की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक दिनांक **27.10.2016** में रखा गया था **(कई गांव होने पर प्रत्येक गांव का विवरण व दिनांक सहित)** एवं इसमें ग्रामसभा एवं वनसमिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

**अथवा**

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

| क्र0 | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे0 में) |
|---|---|---|---|
| **01** | **02** | **03** | **04** |
| 1. | **ग्राम रजखेता** | **निरंक** | निरंक |
| 2. | **नगर पंचायत वाड्रफनगर** | **निरंक** | निरंक |

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमे ग्रामसभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **06.10.2016 एवं 27.10.2016** के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **06.10.2016 एवं 27.10.2016** के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार**

दिनांकः– 25 / /03 / / **2017**

**(अवनीश कुमार शरण)**
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज

Memo/Reader/Coll./